भाग - III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 अगस्त, 2010

संख्या का०आ० 90/ह०अ० 6/2003/धा० 59/2010.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 5/ह०अ० 6/2003/धा० 59/2010, दिनांक 29 जुलाई, 2010, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची क तथा ग में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,—

(i) अनुसूची क में, क्रम संख्या 9 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी और अप्रैल, 2010 के प्रथम दिन से जोड़ी गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"10	2009-10 के दौरान उपभोग के लिए जब राज्य में सभी प्रकार की मदिरा प्रथम बार बेची गई अर्थात् देशी मदिरा के मामले में, अनुज्ञप्ति-13 तथा भारत में बनी विदेशी स्पिरिट के मामले में अनुज्ञप्ति-1 ख तथा अनुज्ञप्ति-1 क ख तथा बीयर तथा शराब इत्यादि के मामले में अनुज्ञप्ति-1 ख-1 तथा अनुज्ञप्ति -1- क ख-1 आर०टी०बी० (पीने के लिए तैयार पेय के लिए) अनुज्ञप्ति-1 क ख-क, अनुज्ञप्ति-1 ख च द्वारा बेची गई भारतीय विदेशी मदिरा (बोतल के रूप में) के सिवाए	4 प्रतिशत अधिभार सहित, यदि कोई हो।";

(ii) अनुसूची ग में, क्रम संख्या 4 क और उसके सामने प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा और अप्रैल, 2010 के प्रथम दिन से लोप किया गया समझा जाएगा।

रमेन्द्र जाखू
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।